

दिनांक आज
या कार्यवाही

05-01-2021

पत्रावली पेश हुई। बकील अध्यापक उपर
शा. प्र. अ. धा. 212 R.T. Act से संबंधित
मूल वाद डनगनी समेकरवाल vs
मोहनी देवी ऑलिस डिक्री किया जा
रुका है, अतः प्र. पत्र पत्रावली का
ऑनिस न लेने से खारिज की जाती
है। पत्रावली कैसल कुमार होकर
दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल
दफ्तर ही। आदेश खुले न्यायालय
में सुनाया गया।

